जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 05.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आज उपायुक्त, खूंटी श्री सूरज कुमार द्वारा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा डायन प्रथा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त ने सांस्कृतिक दल के सदस्यों को कहा कि आप डायन प्रथा के विरूद्ध लोगों को जागरूक करें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेशों को उन तक पहुंचाएं एवं नाटक के बाद यदि कोई जानकारी हेतु पूछना चाहे तो उसे समझाएं कि किसी महिला को डायन के रूप में पहचान करने वाले तथा उस पहचान के प्रति किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कार्रवाई करने वाले को अधिकतम तीन महीने तक कारावास की सजा अथवा एक हजार रू0 की जुर्माना अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझकर या अन्यथा प्रताड़ित करने पर छः महोने की अवधि के लिए कारावास अथवा दो हजार रूपये तक की जुर्माना अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है। किसी औरत को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य या अमनोयोग से अन्य व्यक्ति अथवा समाज के लोगों को उकसाने या षड्यंत्र रचने या सहयोग करने की स्थिति में तीन महीने तक का कारावास अथवा एक हजार रूपय का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित करने प्रावधान है तथा डायन के रूप में पहचान की गई औरत को शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाकर अथवा प्रताड़ित कर झाड़फूंक या टोटका द्वारा उपचार करने वाले को एक साल तक के कारावास की सजा अथवा दो हजार रूपये तक का जुर्माने अथवा दोनों सजा से दण्डित करने का प्रावधान है। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों से उपायुक्त ने डायन प्रथा के बारे में जानकारी ली एवं उन्हें भी डायन प्रथा के विरूद्ध लोगों को जागरूक करने को कहा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता खूंटी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक दल के सदस्य आदि उपस्थित थे।